

न्यायालय सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना
पीठासीन अधिकारी – हनुमानाराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 95/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
आनन्द कुमार पुत्र रमेश कुमार, जाति-जीनगर, निवासी-सांचोर तहसील-सांचोर, जिला-सांचोर (राज0)		1. गणपतलाल पुत्र गंगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चितलवाना 2. गणपतलाल पुत्र निम्बाराम, जाति- मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चितलवाना 3. अर्जुनराम पुत्र डूंगराराम, जाति-मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चितलवाना 4. धापूदेवी पत्नि डूंगराराम, जाति-मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चितलवाना 5. भेराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चितलवाना 6. वीराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चितलवाना 7. तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना, जिला-सांचोर, (राज0)

दावा बाबत बन्टवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
53, 188 R.T.Act

उपस्थित :-

- 1- वादी की ओर से वकील श्री घनश्याम वैष्णव।
- 2- प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से सगताराम प्रजापती।
- 3- प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05, 06 व 07 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 11/01/2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चितलवाना को मौजा डूंगरी पटवार हल्का डूंगरी तहसील चितलवाना में नवीन खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 548 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बरानी सोयम की संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाडा का प्रस्ताव मिट्स एण्ड वाण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार चितलवाना द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण को सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित पक्षकारान के रूबरू बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में क्रमांक/भूअ./2024/04 दिनांक 01.01.2024 को प्रस्ताव पेश किया जो निम्नानुसार है :-

(1) वादी आनन्द कुमार पुत्र रमेश कुमार, जाति-जीनगर, निवासी-सांचोर के हिस्से में ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया।

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	लगान (रु.में)
548 मे से	0.4065 हैक्टर	0.16
कुल 01	0.4065 हैक्टर	0.16

(2) प्रतिवादीगण गणपतलाल पुत्र गंगाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी 1/2 हिस्सा एवं गणपतलाल पुत्र निम्बाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी 1/2 हिस्सा के हिस्से में ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया।



सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	लगान (रु.में)
548 मे से	0.32 हैक्टर	0.13
कुल 01	0.32 हैक्टर	0.13


(3) प्रतिवादीगण अर्जुनराम पुत्र डूंगराराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.0393 हैक्टर, धापूदेवी पत्नि डूंगराराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.0392 हैक्टर, भेराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.0825 हैक्टर व वीराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.1625 हैक्टर के हिस्से में ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया।

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	लगान (रु.में)
548 मे से	0.0785 हैक्टर	0.03
548 मे से	0.2450 हैक्टर	0.10
कुल 02	0.3235 हैक्टर	0.13


तहसीलदार चितलवाना ने बन्टवाड़ा की अन्तिक डिक्री जारी करने हेतु पालना रिपोर्ट पेश की। उभय पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ताओं ने प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव पर आदिनांक तक कोई आपत्ति नहीं की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन व अवलोकन किया तथा विभाजन के प्रस्ताव में अंकित भूमि का क्षेत्रफल, लगान व किस्म अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा के प्रस्ताव के अनुसार वर्णित खसरा, रकबा, व लगान किस्म तथा खातेदार के नाम व नक्शे में वर्णित रंग अनुसार बंटवाड़े के प्रस्ताव स्वीकार करने के आदेश दिये जाते हैं, तथा इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी की जाती है, कि वादी एवं प्रतिवागण एक-दूसरे के कब्जा काशत के उपयोग उपभोग, बन्ट व हिस्से में आयी प्रस्ताव अनुसार भूमि में किसी प्रकार की दखलनदाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे।

उक्तानुसार बन्टवाड़ा के आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग अलग तरमीम कर अमलदरामद करे। इस आशय की तहरीी तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। डिक्री पर्चा उक्तानुसार जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।


(हनुमानाराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हनुमानाराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर चितलवाना
महायक कलक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)



डिकी व मुकदमें इब्त्दाई

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix MDN-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम चित्तलवाना
इजलास - श्री हनुमानाराम आर.ए.एस.

वादी

आनन्द कुमार पुत्र रमेश कुमार,
जाति-जीनगर, निवासी-सांचोर
तहसील-सांचोर, जिला-सांचोर
(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणपतलाल पुत्र गंगाराम, जाति-
मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चित्तलवाना
2. गणपतलाल पुत्र निम्बाराम, जाति-
मेघवाल, निवासी-डूंगरी, तहसील-चित्तलवाना
3. अर्जुनराम पुत्र डूंगराराम, जाति-मेघवाल,
निवासी-डूंगरी, तहसील-चित्तलवाना
4. धापूदेवी पत्नि डूंगराराम, जाति-मेघवाल,
निवासी-डूंगरी, तहसील-चित्तलवाना
5. भेराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल,
निवासी-डूंगरी, तहसील-चित्तलवाना
6. वीराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल,
निवासी-डूंगरी, तहसील-चित्तलवाना
7. तहसीलदार (भूमिधारी) चित्तलवाना,
जिला-सांचोर, (राज0)

दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188

राजस्व वाद संख्या- 95/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रु-ब-रु फलकारान व हाजरी वकील श्री घनश्याम
वैष्णव मिनजानिय मुदई प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री सगताराम प्रजापती व
प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 एकपक्षिय मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है, कि :-

(1) वादी आनन्द कुमार पुत्र रमेश कुमार, जाति-जीनगर, निवासी-सांचोर के हिस्से में
ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	लगान (रु.में)
548 मे से	0.4065 हेक्टर	0.16
कुल 01	0.4065 हेक्टर	0.16

(2) प्रतिवादीगण गणपतलाल पुत्र गंगाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी 1/2 हिस्सा व
गणपतलाल पुत्र निम्बाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी 1/2 हिस्सा के हिस्से में ट्रेस में
हरें रंग से दर्शाया गया।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	लगान (रु.में)
548 मे से	0.32 हेक्टर	0.13
कुल 01	0.32 हेक्टर	0.13

(3) प्रतिवादीगण अर्जुनराम पुत्र डूंगराराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.0393
हेक्टर, धापूदेवी पत्नि डूंगराराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.0392 हेक्टर,
भेराराम पुत्र कानाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.0825 हेक्टर व वीराराम पुत्र
कानाराम, जाति-मेघवाल, सा.डूंगरी, हिस्सा 0.1625 हेक्टर के हिस्से में ट्रेस में
आसमानी रंग से दर्शाया गया।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	लगान (रु.में)
548 मे से	0.0785 हेक्टर	0.03
548 मे से	0.2450 हेक्टर	0.10
कुल 02	0.3235 हेक्टर	0.13

महायुक्त कलेक्टर-चित्तलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चित्तलवाना)




उक्तानुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार चितलवाना उक्त आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम कर अमल दरामत करे। तथा इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी की जाती है, कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक-दूसरे के कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग, बंट व हिस्से में आयी प्रस्ताव अनुसार भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे।

मौजा डूंगरी मुवलिंग-बाबत-खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह-फसीदी-सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक-की अदा करे।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11/01/2024 को जारी की गई।




(हनुमानाराम RAS)
सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(चितलवाना अधिकारी-चितलवाना)